भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2463

मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बटर डोसा के लिए भौगोलिक संकेतन टैग

2463. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पलानी पंचामृतम और बंदर लड्डू को दी गई मान्यता के समरूप ही एक अन्य व्यंजन दावणगेरे बेन्ने डोसा को भौगोलिक संकेतन (जीआई) टैग प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) क्या यह सच है कि दावणगेरे का एक विशिष्ट प्रकार का बटर डोसा, अर्थात् दावणगेरे बेन्ने डोसा एक प्रमुख ब्रांड के रूप में उभरा है जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया है और इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है;

(ग) इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) दावणगेरे बेन्ने डोसा को जीआई टैग प्रदान करने के लिए विचारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और क्या यह सही है कि इस विचार की पहले अनदेखी की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीआई टैग प्राप्त करने से इस डोसे की पारंपरिक पद्धतियां और संघटक तथा विशिष्ट पहचान सुरक्षित रहेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीआई टैग से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से रोजगार का सृजन होगा, पाककला पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दावणगेरे की समृद्धि भी बढ़ेगी; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय में दावणगेरे बेन्ने डोसे का भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसे पंजीकृत नहीं किया गया है।

इसके अलावा, यह उल्लेख किया जाता है कि भौगोलिक संकेतकों का पंजीकरण स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है बल्कि जीआई अधिनियम और नियमों के फ्रेमवर्क के तहत प्रदत्त कानूनी संरक्षण है। जीआई अधिनियम और नियमों के कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार, भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण हेतु आवेदन उस समय लागू किसी कानून द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित उत्पादक संघ अथवा किसी संगठन अथवा प्राधिकरण, जो संबंधित वस्तु के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदकों को माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में उल्लिखित अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है।

(ख) और (ग) : जी, हां। दावणगेरे बेन्ने डोसे पूरे कर्नाटक में अत्यधिक लोकप्रिय है। चूंकि यह दावनगेरे के अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों में तैयार किया जाता है और

बेचा जाता है, इसलिए यह एक जेनेरिक वस्तु बन गई है। अतः इसका विशिष्टता वाला पहलू समाप्त हो गया है जो कि भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पूर्व-अपेक्षा है क्योंकि इसे कई स्थानों पर उत्पादित किया जाता है तथा यह अब किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्टता नहीं रही।

जेनेरिक हो जाने और पूरे राज्य में मिलने की वजह से, यह खाद्य वस्तु निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान करती होगी।

(घ) : किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग के रूप में अर्हता हेतु प्रमुख विशेषता इसका अनूठापन, किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होना, उत्पादन की प्रक्रिया, जलवायु परिस्थिति, जल, मृदा, उपयोग किए गए घटक में निहित होती है। इन विशेषताओं के अलावा, ऐतिहासिक दस्तावेज वृत्तांत की मौजूदगी और मानव कौशल जो पीढ़ियों को हस्तांतरित किया गया हो।

(ङ) से (छ) : सरकार को ज्ञात है कि जीआई टैग प्राप्त करने से, इस डोसे की पारंपरिक पद्धतियों और घटकों तथा अनूठी पहचान को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी।

तथापि, भौगोलिक संकेतक ऐसा संकेतक है जो वस्तु की पहचान किसी विशेष स्थान पर उसके उद्गम से करता है, जहां वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति या अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक मूल के कारण होती हैं। यह वस्तु कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तु हो सकती है, जो किसी देश के किसी प्रदेश में या उस प्रदेश के किसी क्षेत्र या स्थान में उत्पन्न या निर्मित होती हैं, और ऐसे मामले में जहां ऐसी वस्तु विनिर्मित वस्तु है तो, संबंधित वस्तु के उत्पादन, या प्रसंस्करण या तैयार करने की प्रक्रिया जैसे कार्यकलापों में से कोई एक ऐसे प्रदेश, क्षेत्र, स्थान में हो, जैसा भी मामला हो। भारत में भौगोलिक संकेतकों का पंजीकरण और संरक्षण, विशिष्ट प्रकार के विधान, माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 पर आधारित है।

जीआई टैग पाक-कला, पर्यटन आदि को बढ़ावा देने के साथ रोजगार उत्पन्न करके आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्थानीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उन्हें सशक्त बनाता है। इन विशिष्ट क्षेत्रीय वस्तुओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करके और बढ़ावा देकर, जीआई प्रमाणन न केवल पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि सतत आजीविका के अवसर भी उत्पन्न करता है, और इस प्रकार देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देता है।

*****